विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 137 / उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः– 20 / 02 / 2026

वाद योजित तिथि –12.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–15.12.2025
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 15.12.2025

शिकायत संख्याः– 44 / 2025–26

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 भवान सिह नेगी, पलसारी आम गौचर, ...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैररौंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. अवर अभियन्ता गौचर।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 भवान सिह नेगी, पलसारी आम गौचर, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता

सदस्य–विधि

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 137 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांक:– 20/02/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित, विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर उपस्थित हुए, मंच द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया परिवादी द्वारा परिवाद पर बल न देने के कारण विपक्षी के पक्ष को सही पाया गया।

आदेश

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 138 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2025–26, दिनांकः– 20 / 02 / 2026

वाद योजित तिथि –12.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–15.01.2026
निर्णय उद्घोषित तिथि–15.01.2026

शिकायत संख्याः– 49 / 2025–26

श्रीमती नसरीन पत्नी स्व0 जाहिद, निवासी–विजयनगर अगस्त्यमुनि...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रप्रयाग..विपक्षी।

कोरम–

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से... उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड रूद्रप्रयाग।

उद्घोषित द्वारा :– श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्रीमती नसरीन पत्नी स्व0 जाहिद, निवासी–विजयनगर अगस्त्यमुनि, वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 12.12.2025 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत कनेक्शन काटा गया है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
...क्ता शिकायत निवारण मंच

पत्रांक:– 138 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2025–26, दिनांक:–20/02/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.12.2025 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी की ओर उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड रूद्रप्रयाग से दूरभाष पर हुई वार्ता में पक्षकारों के मध्य तय हुआ कि परिवादी द्वारा बकाया धनराशि मध्ये रू02000 (दो हजार रूपये) जमा करेगी तथा विभाग धनराशि जमा करने के उपरान्त विद्युत कनेक्शन जोड देगा, एवं शेष बकाया धनराशि को परिवादी किस्तों में जमा करेगी।

आदेश

3. मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह अपने विद्युत बिल की बकाया धनराशि मध्ये रू02000 (दो हजार रूपये) जमा करें एवं शेष बकाया धनराशि को किस्तों में जमा करें। तथा विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा धनराशि जमा होने के उपरान्त विभाग विद्युत कनेक्शन जोड़कर परिवादी की विद्युत आपूर्ति बहाल करें। तद्‌नुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुवीर सिंह बिष्ट (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य)